न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या207 / 2021

निर्णय दिनांक

श्रीमती हेमलता पत्नि श्री रामफूल, जाति माली, निवासी उपला भानपुरिया की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. पूरा उर्फ पूरणमल सैनी पुत्र श्री भौरिया, जाति माली, निवासी उपला, भानपुरिया की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. बुद्वि देवी पत्नि पूरा उर्फ पूरणमल, जाति माली, निवासी उपला, भानपुरिया की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. कालूराम पुत्र स्व. श्री सीताराम
4. रामफूल पुत्र स्व. श्री सीताराम
5. लक्ष्मी नारायण पुत्र स्व. श्री सीताराम
6. गोपाल पुत्र स्व. श्री सीताराम

   समस्त जाति माली निवासी उपला, भानपुरिया की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. नारायण पुत्र स्व. मोहरिया
8. प्रकाश पुत्र स्व. मोहरिया
9. भागीरथ पुत्र स्व. मोहरिया

   समस्त जाति माली, निवासी उपला, भानपुरिया की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. बसनी देवी उर्फ बसन्ती देवी पत्नि भौरीलाल, जाति माली, निवासी उपला, भानपुरिया की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि श्री कालूराम जाति माली, निवासी उपला, भानपुरिया की ढाणी, दिल्ली बाईपास रोड, कुण्डा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 30.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारीआमेर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 12 / 2018उनवान पूरा उर्फ पूरणमल व अन्य बनाम कालूराम व अन्यअंतर्गत धारा 225राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–: दिनांक 17/11/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील उपखण्ड अधिकारीआमेर, जिला जयपुर द्वाराप्रार्थना पत्र संख्या 12 / 2018 बउनवानी पूरा उर्फ पूरणमल बनाम कालूराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम

आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित अन्तर्गत खाता संख्या 1152/1025 भूमि खसरा नंबर 766 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 767 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 775 रकबा 0.44 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता स्वर्गीय श्री सीताराम का व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 के पिता स्वर्गीय मोहरिया का एवम् पक्षकारान् का आराजीयात में हक हिस्सा निहित है। जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के मुताबिक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का जमाबंदी के अनुसार हिस्सा है अब चूंकि जमाबंदी के मुताबिक रामदयाल पुत्र नाथ्या का देहान्त हो चुका है और उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 1625 दिनांक 19.06.2014 को खुल चुका है और उनके द्वारा भी प्रार्थीगण को व अप्रार्थीगण को रामदयाल के हिस्से की भूमि का बेचान विक्रय पत्रों के द्वारा किया जा चुका है, अब रामदयाल का उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं रहा है व जमाबंदी के मुताबिक सीताराम व मोहरिया का भी देहान्त हो चुका है उनके वारिसान का अभी नामान्तकरण नहीं खुला है उक्त बाबत उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ है चूंकि वाद विभाजन का है इसलिए सीताराम व मोहरिया के वारिसान को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 बनाया गया है। वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 बिना विभाजन कराये ही वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे थे और उन्होने मौके पर पक्का निर्माण कराने की गरज से नींव खोद डाली और निर्माण सामग्री डालना प्रारम्भ कर दिया जब प्रार्थीगण ने ऐसा करने से रोका तो अप्रार्थी झगडा करने पर उतारू हो गये एवम् धमकी दी कि बंटवारा नहीं करवायेगे एवम् अपनी स्वेच्छा से जहां चाहे वही निर्माण कार्य करेगे इस कारण अप्रार्थी को उनके कृत्यों से रोकने के लिए न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण यदि अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवम् सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि पर वास्तविक विभाजन होने तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे और न ही वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण व बेचान आदि करें न ही प्रार्थी को उनके हिस्सेनुसार उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर, बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 30.06.2018 द्वारा पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई दिनांक 06.03.2018 को वाद के अंतिम निस्तारण तक कन्फर्म कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया किअधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत में राजीनामा से निस्तारित किया जाना वर्णित किया है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पत्रावली लोक अदालत में नियत किये जाने की सूचना नहीं दी गई। विधि अनुसार लोक अदालत में पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा के प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है, प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किस कारणवश कन्फर्म किया गया है इसका उल्लेख नहीं किया है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नॉन स्पीकिंग निर्णय की श्रेणी में आता है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018 आर.बी.जे. पेज 33 में यह सिद्धान्त

प्रतिपादित किया गया है कि जब नॉन स्पींकिग आदेश जिसमें प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कारण नहीं दिये गये हो, आदेश अवैध श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति हेतु कोई विश्लेषण एवम् विवेचन नहीं किया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (26) 2019 पेज 97 रमेश चन्द्र बनाम हनुमान सहाय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिये तीन आवश्यक कारक यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति कारित होने को साबित किया जाना आवश्यक है अन्यथा परीक्षण न्यायालय का निर्णय पोषणीय नहीं है। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 खारिज किया जावे। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से ना तो स्वयं रेस्पोडेन्ट्स एवम् ना ही अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की बहस के परिपेक्ष में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2018 का अवलोकन किया गया जिसमें सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि " पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट आमेर में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है, पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.03.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को दावा निस्तारण तक स्थाई (कन्फर्म) किया जाता है, आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। " जिससे स्पष्ट है कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारान् की बहस सुने ही एवम् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सन्दर्भ में निर्धारित तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति पर विवेचन किये बिना ही विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर पक्षकारान् की सुनवाई कर, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिए निर्धारित तीनों बिन्दुओं प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति पर विस्तृत विवेचन कर, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(ए) की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। साथ ही तब तक न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.03.2018 बहाल रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति सहित अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17/11/21 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर